मानव अधिकार प्रकोष्ठ

Dr. Fatima Sultana, Nodal Officer
Dr. Smriti Johari, Member

E- Webinar for the **Protection and Awareness of "Sexual Harassment of Women at Workplace"** was organized by Dr. Fatima Sultana, Convener and Dr. Jagruti Meena, Co-ordinator, on 27 Feb 2020. The speakers Mrs. Varsha Chandra, Indian Legal Service, Additional Law Officer, New Delhi and Ms. Ramya. B. T., Advocate (Karnataka State Bar), LLB, Durham, UK, spoke on Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal), Act 2013.

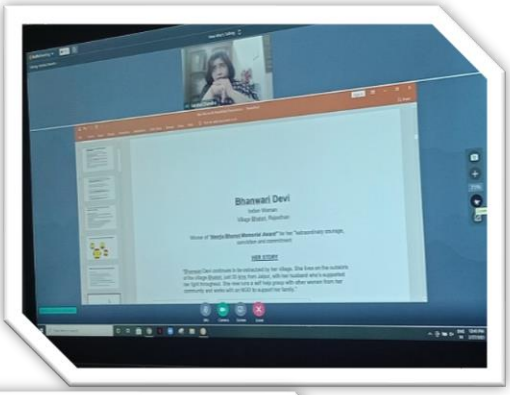

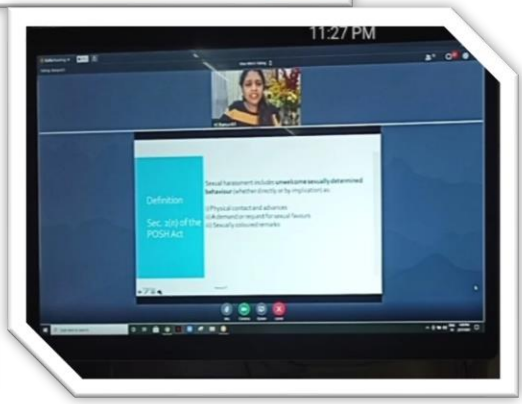

महाविद्यालय में 'कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न' से संबंधित वेबिनार सम्पन्न

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

कोटा. जेडीबी कन्या महाविद्यालय में मानवाधिकार प्रकोष्ठ के तत्वावधान में शनिवार को 'कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न-सुरक्षा व जागरूकता' विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया।

मुख्य वक्ता नई दिल्ली की अतिरिक्त विधिक अधिकारी वर्षा चन्द्रा ने समाज में व्याप्त मिथ्या तथा वास्तविक तथ्यों से अवगत कराया। बेंगलूरु की अधिवक्ता रमया बी.टी. ने कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव व लैंगिक असमानतता के व्यावहारिक पक्ष पर प्रकाश डाला। प्राणीशास्त्र की फेकल्टी डॉ. नीतू सिंह, प्रांजल पोरवाल व एमएससी पूर्वार्द्ध, उत्तरार्द्ध की छात्राओं ने संवाद में हिस्सा लिया और वीडियो के माध्यम से दर्शाए गए उत्पीड़न पर अपना पक्ष रखा। मानवाधिकार क्लब प्रभारी डॉ. फातिमा सुल्ताना ने कहा कि आनन्दम का मतलब होता है, सुखी जीवन जीना। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. अनिता कोठारी ने महिला उत्पीड़न एक्ट के बारे में समझाया। अन्त में मानवाधिकार प्रकोष्ठ की समन्वयक डॉ. जागृति मीणा ने धन्यवाद व्यक्त किया।

कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न पर वेबीनार का आयोजन

नवज्योति/कोटा

जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा में शनिवार को मानवाधिकार प्रकोष्ठ के तत्वावधान में कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न-सुरक्षा व जागरूकता विषय पर वेबीनार का ऑनलाइन आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता वर्षा चन्द्रा व रमया चीटी बैंगलोर रहीं। मानवाधिकार क्लब प्रभारी व आनन्दम नोडल अधिकारी डॉ. फातिमा सुल्ताना ने बताया कि आनंदम दिवस प्रति माह के अन्तिम शनिवार को मनाया जाता है। आनन्दम का मतलब होता है सुखी जीवन जीना।

वेबीनार के माध्यम से छात्राओं को प्राप्त सुरक्षा व जागरूकता के माध्यम से कैसे अपने जीवन को सुखमय और आनन्दम बनाया जा सकता हैं। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. अनिता कोठारी ने कार्यक्रम की उपयोगिता पर छात्राओं को संबोधित करते हुए महिला उत्पीड़न एक्ट के बारे में विस्तार से समझाया।

मानव अधिकार प्रकोष्ठ के द्वारा 12 Mar 2020 को, दांडी मार्च पर एक परिचर्चा करवाई गई जिसके मुख्य वक्ता डॉ स्मृति जौहरी और डॉ नीतू सिंह रहे

SANJAY BHARGAVA
Digitally signed by SANJAY BHARGAVA
Date: 2023.05.13 17:33:00 +05'30'